126/2021/I/111837/2021-71-2099/191/2021

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 नवम्बर, 2021

विषय- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-572/PGI/DIR/DC/2021, दिनांक 19 जुलाई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना के अंतर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एण्ड स्ट्रोक (NPCDS) के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0 में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-02/2018/5956/71-2-17-154/2015, दिनांक 08 जनवरी, 2018 द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 11.43 करोड़ (रूपये ग्यारह करोड़ तैंतालिस लाख मात्र) अवमुक्त की गयी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-T-20015/32/2014-CR दिनांक 24 मई, 2021 द्वारा रु० 3,28,4 0,000, पत्र संख्या-T-20015/32/2014-CR दिनांक 24-05-2021 द्वारा रू0 3,94,98, 000 एवं पत्र संख्या-T-20015/32/2014-CR , दिनांक 24-05-2021 द्वारा रू0 1,12,000 की धनराशि अर्थात प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,24,50,000 स्वीकृत किया गया है।

3- आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में टर्शरी कैन्सर केयर केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 724.50 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मद संख्या-4210-03-13 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर केन्द्र की स्थापना (के. 60/रा.40-के.+रा.) हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) (केन्द्राश के रूप में) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर स्कीम (TCCC) की गाइड लाइन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2) उपकरणों/साज-सज्जा के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की होगी।
4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायेगा।
5) अवमुक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य मदों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है। अन्य किसी कार्य मदों में व्ययावर्तन को वित्तीय अनियमितता समझा जायेगा।
6) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-13-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैन्सर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-925/दस-2021-2022, दिनांक 27-08-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (एनसीडी-।। सेक्शन), भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।